160

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की पहली बैठक की कार्यवाही

बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की पहली बैठक माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–28.08.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई।

बैठक में सम्मिलित पदाधिकारियों/सदस्यों की उपस्थिति अनुसूची में उपलब्ध है।

कार्यवाही

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी सदस्यों एवं अन्य आमंत्रित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए उनसे राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के कार्यों एवं जिम्मेवारियों के निर्वहन में सक्रिय समर्थन तथा प्रेरणादायक मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई।

कार्यावली सं०–01

राज्य में आर्द्रभूमि का संक्षिप्त परिदृश्य एवं प्राधिकरण की भूमिका परिप्रेक्ष्य।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा राज्य में आर्द्रभूमि के संबंध में संक्षिप्त परिदृश्य प्रस्तुत किया गया एवं आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 में वर्णित प्रावधानों के तहत् गठित राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को भी इंगित किया गया। इसका सारांश अनुलग्नक–01 में उपलब्ध है।

कार्यावली सं०–02

(i) 25 आर्द्रभूमियों की कार्य योजना तैयार करने की कार्रवाई।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार ने पूर्व में आर्द्रभूमि (संरक्षण) नियम, 2010 के तहत् गठित राज्य आर्द्रभूमि विकास प्राधिकरण की बैठक में 100 हे० या इससे अधिक विस्तार वाले आर्द्रभूमि स्थलों या उनके समूहों की पहचान कर विनिर्दिष्ट जानकारी एकत्र कर प्रतिवेदन तैयार करने की अनुशंसा का उल्लेख करते हुए बताया कि ISRO के Space Application Centre द्वारा वर्ष 2006-08 में बिहार के Wetland Atlas के लिये संग्रहित सूचनाओं से 100 हे० से बड़े आर्द्रभूमि स्थलों की सूची प्राप्त की गयी है, जिसके अनुसार राज्य के 26 जिलों में 100 हे० से बड़े कुल 133 आर्द्रभूमि नदी बेसिन तंत्र के आधार पर उपलब्ध है। इन आर्द्रभूमियों में से 115 प्राकृतिक आर्द्रभूमि है तथा मानव निर्मित की श्रेणी में 18 डैम एवं रिजर्वायर हैं। इन 133 चिन्हित आर्द्रभूमियों में से क्रमशः 05 पक्षी आश्रयणी एवं एक समुदायिक आरक्ष यथा कुशेश्वरस्थान (दरभंगा), बरैला (वैशाली), कॉवरताल (बेगूसराय), नागी एवं नकटी (जमुई) एवं गोगाबिल (कटिहार) को मिलाकर कुल 6 आर्द्रभूमियों को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत् पक्षी आश्रयणीएवं सामुदायिक संरक्षण आरक्ष (community conservation reserve) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(159)

प्रथम चरण में चयनित 28 आर्द्रभूमियों में से कॉवरताल, बरैला एवं गोगाबिल क्रमशः आश्रयणी एवं सामुदायिक संरक्षण आरक्ष (community conservation reserve) के रू अधिसूचित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 25 आर्द्रभूमियों की कार्य योजना तैयार की जान है।

सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा 9,41,000 हे० चौर क्षेत्र का विकास **"चौर विकास योजना"** के तहत् किया जा रहा है, साथ ही चौर क्षेत्र के विकास हेतु जल ग्रहण क्षेत्र की गहराई बढ़ाकर मत्स्य पालन करने तथा खुदाई से प्राप्त मिट्टी से भू–समतलीकरण कर कृषि एवं वृक्षारोपण का कार्य भी सम्मिलित किये जाने का उल्लेख किया गया। प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने चौर क्षेत्र के विशेष पारिस्थितिकीय तंत्र (ecological system) का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि योजना बनाते समय पानी के आउटलेट एवं इनलेट को अवरूद्ध नहीं किया जाय, प्राकृतिक रूप से पायी जाने वाली मछलियों को संरक्षित किया जाय, चौर के प्राकृतिक स्वरूप को यथावत् रखा जाय एवं चौर के प्रभाव क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाय।

प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा गठित ''चौर विकास समिति'' में वन विभाग के पदाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किये जाने एवं आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत चौर विकास योजनाओं को तैयार कर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।

प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा बताया गया कि वन्यप्राणी एवं पक्षियों की उपस्थिति वाले आर्द्रभूमियों को पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हुए इसका विकास करना अपेक्षित है।

सचिव, जल संसाधन द्वारा बताया गया कि सहरसा जिला की मत्स्यगंधा झील एवं वैशाली के पुष्करणी झील मे पानी सूख गया था, जिसे पुनर्जीवित किया गया है, इस संदर्भ में प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने बताया कि बांध बनाने के क्रम में पानी का इनलेट बंद हो जाने के कारण चौर में पानी की कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में वर्षा/बाढ़ के समय सभी स्लुइसगेट को कार्यरत रखने से चौर में पानी की कमी नहीं होगी। कॉवर झील में भी पानी की उपलब्धता बनाये रखने हेतु अन्य विभागों के साथ समन्वय कर योजना बनाने का सुझाव प्राप्त हुआ। विषय विशेषज्ञ, डॉ० सुरेश बाबू ने बताया कि शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमियों की भी मैपिंग कराकर जीर्णोद्धार किया जाय, जिससे बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलेगी। डॉ० सूर्यभूषण द्वारा आर्द्रभूमियों का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराकर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का सुझाव दिया गया। डॉ० रितेश द्वारा बताया गया कि राज्य के आर्द्रभूमियों का स्वरूप परिवर्तित नहीं होने दिया जाय एवं जन–जागरूकता हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जाय।

उपर्युक्त पहलुओं पर विचार विनिमय के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा निम्न अनुशंसाएँ की गई है :

(क) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा गठित **चौर विकास समिति** में वन विभाग के पदाधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित किया जाय।

(ख) चौर विकास योजनाओं को आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार कर इसे आर्द्रभूमि विकास प्राधिकरण से अनुमोदित कराया जाय।

(ii) 0.5 एकड़ से बड़े सभी आर्द्रभूमियों के प्रबंधन एवं विकास हेतु ISRO से समस्त जानकारी प्राप्त किया जाना।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या– 230/2001 एम. के. बालाकृष्णन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक–08.02.2017 को 2.25 हे० से बड़े समस्त आर्द्रभूमियों को अधिसूचित कराने का पारित आदेश एवं माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा O.A. NO. 325/2015 में दिनांक–10.05.2019 को 0.5 एकड़ से बड़े सभी आर्द्रभूमियों के प्रबंधन एवं विकास हेतु पारित आदेश का उल्लेख करते हुए 0.5 एकड़ से बड़े सभी आर्द्रभूमियों की जानकारी ISRO से प्राप्त करने संबंधी तथ्य रखा गया जिसपर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन दिया गया।

(iii) तकनीकी एवं शिकायत समिति का गठन।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार ने आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं विकास) नियम, 2017 के तहत् तकनीकी एवं शिकायत समिति के गठन के प्रावधान के संबंध में जानकारी दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय को तकनीकी एवं शिकायत समिति के गठन हेतु प्राधिकृत करने का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा की गई।

(iv) कॉवरताल आर्द्रभूमि, बेगूसराय को रामसर (Ramsar) साइट के रूप में नामित करने हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा प्राधिकरण के सदस्यों को बताया गया कि कॉवर झील को वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत सन् 1989 में "कॉवर झील पक्षी आश्रयणी" के रूप में अधिसूचित किया गया है। "कॉवर झील पक्षी आश्रयणी" के कुल 6,311.11 हे० की अधिसूचित भूमि पर सीमावर्ती ग्रामवासियों के निजी स्वामित्व के कारण एक हिस्सा विवादस्पद हो गया है। ऐसी स्थिति में "कॉवर झील पक्षी आश्रयणी" की 2620 हे० वैसी भूमि जो सालभर जलमग्न, अविवादित एवं सरकारी स्वामित्व की भूमि है, उसे रामसर साइट बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(v) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंद्ध विभागों के पदाधिकारियों की समिति गठित कर उसमें संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सदस्य सचिवके रूप में सम्मिलित करने के संबंध में।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा बताया गया कि चिन्हित आर्द्रभूमियों की पहचान, सीमांकन, नक्शा निर्माण, अतिक्रमण से मुक्ति एवं अन्य दावों के निष्पादन हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में संबंद्ध विभागों के पदाधिकारियों की एक समिति गठित कर वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत आर्द्रभूमियों का Brief document, health card, wetland mitra एवं zone of influence को तैयार कर राज्य सरकार के स्तर से अधिसूचित कराया जा सके। प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित समिति के गठन का अनुमोदन दिया गया।

(vi) आर्द्रभूमि क्षेत्रों का समेकित प्रबंधन योजना के सूत्रण हेतु तकनीकी सहयोग प्राप्त करना।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार ने डॉ० रितेश कुमार, निदेशक, Wetlands International South Asia द्वारा कॉवरताल पक्षी आश्रयणी का Management Plan तैयार किये जाने का उल्लेख करते हुए प्रथम चरण के शेष 25 आर्द्रभूमियों का समेकित

(157)

प्रबंधन योजना (Integrated Management Plan) तैयार करने में डॉ० रितेश कुमार, का तकनीकी सहयोग लिये जाने का प्रस्ताव दिया। प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

(vii) राज्य के वैधानिक, नीतिगत प्रावधानों तथा सांख्यिकी अभिलेखों एवं दस्तावेजों में आर्द्रभूमि को बेकार/अनुपयोगी/बंजर भूमि के भू–वर्गीकरण से हटाकर सांख्यिकी एवं भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों में आर्द्रभूमि के रूप में भू–वर्गीकरण कराया जाना।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 1950 दशक के पूर्व के वर्गीकरण में आर्द्रभूमि को बेकार/अनुपयोगी भूमि की श्रेणी में चिन्हित/वर्गीकृत किये जाने एवं Bihar Soil and Water Conservation & Land Development Act, 1970 में वेस्टलैंड की परिभाषा में Water Logged क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान में Integrated and sustainable agrirculture के साथ आर्द्रभूमि में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादन प्रणालियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। इसलिए आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं बेहतर प्रबंधन हेतु सांख्यिकी अभिलेखों एवं दस्तावेजों में आर्द्रभूमि को बेकार/अनुपयोगी/बंजर भूमि के भू–वर्गीकरण से हटाकर सांख्यिकी एवं भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अभिलेखों में आर्द्रभूमि के रूप में सुसंगत भू–वर्गीकरण कराये जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसपर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

(viii) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाना।

प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि को विशेष सदस्य के रूप में आमंत्रित करने का प्रस्ताव रखा गया। प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

(ix) माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार द्वारा अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी सदस्यों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य आमंत्रित पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के विचार विनिमय के उपरान्त निम्न निदेश दिया गया :–

(क) सभी मुख्य आर्द्रभूमियों का विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से उचित प्रलेखीकरण (documentation) कराया जाय।

(ख) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का वेबसाईट बनाकर इसपर आर्द्रभूमि Atlas/Inventory के साथ अन्य सभी सूचनाओं को अपलोड किया जाय।

(ग) राज्य की आर्द्रभूमियों के विकास से संबंधित सभी कार्यों का उचित प्रलेखीकरण कराया जाय एवं समय–समय पर इसे अपडेट किया जाय।

(घ) Wetland/Waterlogged wasteland भूमियों का वर्गीकरण कराया जाय।

(ड.) आर्द्रभूमि क्षेत्रों में पर्यटन विकसित करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाय।

(च) कॉवर झील को रामसर साईट के रूप में प्रस्तावित किया गया है, अतएव कॉवर झील के जीर्णोद्धार हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ समन्वय कर योजना बनायी जाय।

(छ) आर्द्रभूमियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों के साथ शीघ्र एक कार्यशाला का आयोजन किया जाय।

(156)

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निदेशों का स्वागत करते हुए राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के सभी सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया।

कार्यावली सं०–03

माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की बैठक में भाग लेकर मार्गदर्शन करने के लिए सम्मिलित सभी सदस्यों, विभागीय पदाधिकारियों एवं अन्य आमंत्रित पदाधिकारियों/विशेषज्ञों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

अध्यक्ष
बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण
(उपमुख्यमंत्री–सह–पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्री, बिहार)